संख्या-391/2025/I/1128856/2025/23-11099(099)/427/2025

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 31-10-2025**

विषय:- रेल उपगिरामी/अधोगामी सेतु योजनान्तर्गत स्वीकृत रेल उपरिगामी सेतुओं पर जी0एस0टी0 की धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-2350/सामान्य-सेतु-31/2025-26, दिनांक 29-08-2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रेल उपरिगामी/अधोगामी सेतु योजनान्तर्गत स्वीकृत अधोलिखित तालिका में उल्लिखित विभिन्न जनपद के कुल 03 चालू कार्यो, जिनकी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तालिका में अंकित शासनादेशों द्वारा लागत+जी0एस0टी0 नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय, की प्रदान की गयी है, उनके सम्मुख अंकित जी0एस0टी0 की धनराशि, जिसका कुल योग रू0 135.41 लाख (रूपये एक करोड़ पैतीस लाख इकतालिस हजार मात्र) होता है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त किए जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृति का शासनादेश	स्वीकृत लागत	जी0एस 0टी0 (12 प्रतिशत) की कुल धनराशि	पूर्व में निर्गत जी0एस 0टी0 की धनराशि	अवमुक्त धनराशि		
						अनु0 सं0-57	अनु0 सं0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डी0एफ0सी0सी0 रूट के अन्तर्गत जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में गाजियाबाद-टूण्डला रेल सेक्शन के सम्पार संख्या-143 कि0मी0 1406/33-35 निकट ग्राम रायपुर बॉगड-अजायबपुर पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	39/2020/151ई/23-11-2020-1/2(137)/2019, दि0 29-01-20	4517.72 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	225.29	199.20	20.56	5.53	26.09
2	डी0एफ0सी0सी0 रूट के अन्तर्गत जनपद गौतमबुद्ध नगर में उ0मारे0 के अन्तर्गत गाजियाबाद-टूण्डला रेल	41/2020/112ई/23-11-2020-1/2(187)/	6051.40 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	183.54	95.07	69.71	18.76	88.47

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	सेक्शन के कि0मी0 1395/13-15 के सम्पार सं0-138 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	2018, दि0 29-01-20						
3	डी0एफ0सी0सी0 रूट के अन्तर्गत जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में गाजियाबाद-टूण्डला रेल सेक्शन के सम्पार सं0-141 के कि0मी0 1403 के कि0मी0 1403/01-1403/11 निकट ग्राम मायचा पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	38/2020/ 113ई/23-11-2020-1/2(133)/ 2019, दि0 29-01-20	5022.55 + जी0एस0टी0 नियमानुसार	230.18	209.33	16.43	4.42	20.85
योग:-						**106.70**	**28.71**	**135.41**

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1)- उक्त कार्यो हेतु मांगी गयी जी0एस0टी0 की देयता के वास्तविक होने की पुष्टि मुख्य अभियन्ता(सेतु), लोक निर्माण विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा जी0एस0टी0 की अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से कार्य पर जितनी जी0एस0टी0 देय होगी, उतनी ही भुगतान की जायेगी। अवशेष धनराशि राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- उक्त कार्यो पर अवमुक्त की जा रही जी0एस0टी0 की धनराशि के भुगतान के सम्परीक्षित लेखा प्राप्त कर अभिलेखों में संरक्षित किये जायें।

(3)- किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4)- प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(5)- प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित किया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्यो के सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समय-सीमा अन्तर्गत कार्यालय महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(6)- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल/पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7)- शासनादेश संख्या-135/2023/708ई/23-11-2023, दिनांक 29-03-2023 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8)- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27-03-2025 में निहित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रू0 1,06,70,000 (रूपये एक करोड़ छः लाख सत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010516 रेल उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था मानक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रू0 28,71,000 (रूपये आट्ठाईस लाख इकहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891500 रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओ का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27-03-2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
11- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
15- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
16- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in